# न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

अधिहरण वाद संख्या-194/2019

अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

**सरकार**

**बनाम**

**अजय यादव**

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित) |
|---|---|---|
| 24/3/21 | यह वाद समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय से विधिवत निष्पादन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त है। इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक सं0 1796/हि0शा0, दिनांक 15.08.2019) के आलोक में थानाध्यक्ष, फुलकाहा थाना काण्ड संख्या-26/19, दिनांक 12.02.2019 धारा-30(a) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त बजाज डिस्कभर मोटर साईकिल पंजीयन सं0-BR38D-4162, ईंजन संख्या-JBUBUBO2107, चेसीस संख्या-MD2DSPAZZUPB92209 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया को वाहन मालिक का नाम व पता उपलब्ध कराने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया द्वारा वाहन मालिक का नाम एवं पता उपलब्ध कराने पर वाहन मालिक श्री अजय यादव, पिता-स्व0 बाल कृष्ण यादव, ग्राम-मोधरा पश्चिम, वार्ड सं0 03, थाना-नरपतगंज, जिला-अररिया को कारण-पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गई।<br><br>विपक्षी सूचनोपरांत कई तिथियों से इस न्यायालय में अनुपस्थित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनको इस वाद में कोई रूचि नहीं है। तत्पश्चात् वाद को आदेश पर रखा गया।<br>अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सहायक उप निरीक्षक/सामान्य दिलीप सिंह चंदेल, 'ए' समवाय फुलकाहा 56 वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल दिनांक 12.02.2019 को सूचना के आलोक में मुख्य आरक्षी/सा0 अमर कुमार, आरक्षी/सामान्य प्रकाश कुमार मिश्रा, प्रकाश चंद सैन और मनोज कुमार यादव के साथ ग्राम-लक्ष्मीपुर फटानी चौक के पास गश्ती पर थे। गश्ती के दौरान समय करीब 16:50 बजे विपक्षी मोटर साईकिल पर गैलन बांधकर नेपाल की तरफ से आ रहे थे। जैसे ही विपक्षी की नजर गश्ती दल पर पड़ी तो वे अपनी मोटर साईकिल वही पर गिराकर भागने लगे। शक होने पर गश्ती पार्टी ने विपक्षी को खदेड़कर पकड़ा इतने में वहां पर भीड़ एकत्रित हो गई। उसी भीड़ मे मौजूद दो व्यक्तियों 1. सुनील कुमार यादव, पिता-स्व0 गयानंद यादव, सा0-मानिकपुर, थाना-फुलकाहा, जिला-अररिया एवं 2. चन्द्र यादव, पिता-कलानंद यादव, सा0-मानिकपुर, थाना-फुलकाहा, जिला-अररिया के समक्ष उस व्यक्ति की मोटर साईकिल व उस पर बंधे गैलन की विधिवत तलाशी ली गई। मोटर साईकिल डिस्कवर पंजीयन संख्या पंजीयन सं0-BR38D-4162, ईंजन संख्या-JBUBUBO2107, चेसीस संख्या-MD2DSPAZZUPB92209 पर बंधा हुआ नीले रंग का गैलन बीच में से कटा हुआ था, उसके अन्दर अवैध नेपाली शराब भरी हुई थी, जिनकी गिनती की गई तो उसमें उमंगा की 110 बोतल प्रति बोतल 300 एम0एल0, कुल 33 लीटर शराब बरामद हुई। बरामद शराब और मोटर साईकिल की दोनों स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष समय 17:05 बजे विधिवत जब्ती सूची बनाई गई तथा विपक्षी को गिरफ्तार कर, जब्त शराब व मोटर साईकिल के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना-बथनाहा को सुपुर्द किया गया।<br>अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी द्वारा अवैध शराब का जब्त मोटर साईकिल से परिवहन कर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 का उल्लंघन किया गया है। जब्त मोटर साईकिल राजसात होने योग्य है।<br><br>पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन और संलग्न कागजातों के | |

परिशीलन से इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि विपक्षी का जब्त बजाज डिस्कभर मोटर साईकिल पंजीयन सं0-BR38D-4162, ईंजन संख्या-JBUBUBO2107, चेसीस संख्या-MD2DSPAZZUPB92209 का उपयोग अवैध शराब को व्यवसायिक उद्देश्य से ढ़ोने में प्रयुक्त किया गया है। जब्त मोटर साईकिल बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 56(ख) के अंतर्गत राजसात होने योग्य है। तदनुसार थानाध्यक्ष, फुलकाहा थाना काण्ड संख्या-26/19, दिनांक 12.02.2019 में जब्त **बजाज डिस्कभर मोटर साईकिल पंजीयन सं0-BR38D-4162, ईंजन संख्या-JBUBUBO2107, चेसीस संख्या-MD2DSPAZZUPB92209 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 58(2) के अंतर्गत राजसात**(Confiscate) किया जाता है। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया को प्रेषित करें।

विपक्षी (वाहन मालिक) यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरूद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकते हैं।

उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित,

अपर समाहर्त्ता,
अररिया

अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक ....20 (मद्य)...., अररिया, दिनांक ..26../..03../2021

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधीक्षक, मद्य निषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता,
अररिया